संख्या :एस0एम0एच0–7 / 2011–12–आर0डी0डी0–11– 828-29
हिमाचल प्रदेश सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

प्रेषित :

निदेशक एवं विशेष सचिव (ग्रा0वि0)
हिमाचल प्रदेश शिमला–9

प्रेषक :

उप–निदेशक एवम परियोजना अधिकारी
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
हमीरपुर व उना
दिनांक शिमला–9 14 मई, 2015

विषय: **जिला स्तर पर कार्यरत कम्यूटर आपरेटर को इन्दिरा आवास योजना के 4 प्रतिशत प्रशासनिक मद के अन्तगर्त MIS पर डाटा अपलोड करने हेतु पारिश्रामिक प्रदान करने बारे ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र संख्या : क्रमशः डी0आर0डी0ए0 / हमीर / आई0ए0वाई / 2014–15–5901 दिनांक 18 मार्च,2015 व डी0आर0डी0ए0 / उना / स्थापना 1761– दिनांक 20 मार्च,2015 के सन्दर्भ में आपको लिखा जाता है कि विभाग ने समसंख्यक पत्र दिनांक 21 जनवरी ,2014 के द्वारा सभी डी आर डी एज को इन्दिरा आवास योजना में प्राप्त 4 प्रतिशत प्रशासनिक मद की धनराशि के वितरण के बारे में जिला / खण्ड / ग्राम पंचायत स्तर पर लाभार्थियों की संख्या / कार्य भार के अनुसार धनराशि के वितरण के बारे में सुझाव दिया था । इसके बाद जिला कांगड़ा द्वारा अपनाया गया फार्मूला अपनाने का भी सुझाव समसंख्यक पत्र दिनांक 18 जून, 2014 को इस शर्त पर दिया गया था यदि इससे पूर्व आपने स्वयं ऐसा कोई फार्मूला न अपनाया हुआ हो । जिला स्तर पर कार्यरत कम्पयूटर आपरेटर के लिए जिला कांगड़ा द्वारा अपनाये गए फार्मूले में प्रदान की जाने वाली धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया था जिस बारे आपने मार्ग दर्शन चाहा है । इस बारे विभाग द्वारा इस पर गहन विचार विमर्श करने के उपरान्त विभिन्न स्तरों पर कार्य भार के अनुसार प्रति इकाई लागत का विवरण वर्क आउट किया गया है जो इस पत्र के साथ आपके अवलोकनार्थ हेतु व इस आशय के साथ संलग्न किया जा रहा है कि उपरोक्त योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 3.6 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ही प्रशासनिक व्यय की धनराशि का उपयोग करने की कृपा करें । इसके अतिरिक्त आप प्रत्येक विकास खण्ड / ग्राम पंचायत को योजना के अन्तगर्त लक्ष्य व कार्य भार के अनुसार मानदेय का भुगतान अपने स्तर पर परिस्तिथि अनुसार भी कर सकते है । विभिन्न स्तरों पर कार्यरत कम्पयूटर आपरेटरज द्वारा किया जाने वाले कार्य का विवरण भी संलग्न किया जा रहा है ।

संलग्न :2

भवदीय

उप–सचिव (ग्रा0वि0)
हिमाचल प्रदेश शिमला–9

पृष्ठांकन संख्या : उपरोक्त 830 – 39 दिनांक शिमला –9 14 मई, 2015
प्रतिलिपिः समस्त उपनिदेशक एवम परियोजना अधिकारी (सिवाए हमीरपुर व उना) को सूचनार्थ प्रेषित है ।

उप–सचिव (ग्रा0वि0)
हिमाचल प्रदेश शिमला–9

इन्दिरा आवास योजना के अन्तगर्त एम0आई0एस0 आवाससोफट पर डाटा अपलोड करने बारे खण्ड /जिला स्तर पर कार्यरत कम्पयूटर आपरेटरज/तकनीकी सहायकों के द्वारा किया जाने वाले कार्य का विवरण ।

खण्ड स्तर पर कार्यरत कम्पयूटर आपरेटरज के प्रस्तावित कार्य ।

- सभी लाभार्थियों का डाटा एम0आई0एस0 आवाससोफट में अपलोड करना ।
- पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के अन्तगर्त भुगतान करना ।
- योजना के अन्तगर्त रिलीज होने वाली सभी किश्तों को अपलोड करना ।
- लाभार्थीयों के फोटोग्राफ व अन्य विवरण जिनकी एम0आई0एस0 आवाससोफट में अपलोड करने की आवश्यकता रहती है – को अपलोड करना ।

खण्ड स्तर पर कार्यरत तकनीकी सहायक के प्रस्तावित कार्य ।

- स्वीकृत मकान का फील्ड विजिट के द्वारा निरीक्षण व मानिटिरिंग ।
- स्वीकृत मकान का विभिन्न स्तरों पर फील्ड में फोटोग्राफ लेना ।
- स्वीकृत मकान बारे निर्धारित प्रपत्र भरकार विकास खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना ।
- स्वीकृत मकानों का निर्माण कार्य सुनिश्चित करना ।

जिला स्तर पर कार्यरत कम्पयूटर आपरेटरज के प्रस्तावित कार्य ।

- जिले के अन्तगर्त इन्दिरा आवास योजना के भौतिक व वितिय लक्ष्यों का विवरण एम0आई0 एस0 आवाससोफट में अपलोड करना ।
- पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के अन्तगर्त अपने जिले से सम्बधित सभी आवश्यक डाटा अपलोड करना ।
- योजना के अन्तगर्त केन्द्र सरकार व राज्य सरकार से समय समय पर जिले को रिलीज होने वाली सभी किश्तों को आवास सोफट में अपलोड करना ।
- जिले के अन्तगर्त आने वाले विकास खण्डों के एम0आई0एस0 आवाससोफट पर अपलोड किये गए डाटा से सम्बधित विवरण को चेक करना तथा किसी प्रकार से गलत होने पर उसे सम्बधित विकास खण्ड में कार्यरत कम्पयूटर आपरेटर के ध्यान में लाना व आवश्यक मार्ग दर्शन करना ।

इन्दिरा आवास योजना (4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय) के अन्तगर्त प्राप्त होने वाली धनराशि के वितरण हेतु विभाग द्वारा प्रस्तावित फार्मूला ।

योजना के अन्तगर्त निर्माण हेतु प्रति इकाई लागत	योजना के अन्तगर्त 4 प्रतिशत **प्रशासनिक व्यय के रूप में प्रति इकाई** आंबटित धनराशि	योजना के दिशा निदेशों क पैरा 3.6 के प्रावधान अनुसार **सूचना,शिक्षा व संचार पर । (1 प्रतिशत 4 प्रतिशत का)**	योजना के दिशा निदेशों के पैरा 3.6 के प्रावधान अनुसार **सामाजिक लेखा परीक्षा पर । (1 प्रतिशत 4 प्रतिशत का)**	योजना के दिशा निदेशों के पैरा 3.6 में **वर्णित अन्य प्रावधानों** में **व्यय** करने हेतु **(1.5 प्रतिशत 4 प्रतिशत का)**	योजना के दिशा निदेशों क पैरा 3. 6 में वर्णित प्रावधान **जिसके अनुसार** 0.5 **प्रतिशत राज्य मुख्यालय द्वारा रिटेन करना है** / जिलों ने राज्य मुख्यालय को भेजना है ।	**खण्ड स्तर** पर कार्यरत **कम्पयूटर आपरेटर को प्रस्तावित देय** पारिश्रामिक	**खण्ड स्तर** पर प्रति इकाई **तकनीकी सहायक को देय राशि** प्रस्वावित	**जिला स्तर** पर प्रति इकाई **कम्पयूटर आपरेटर को देय** राशि प्रस्वावित	कुल व्यय
मु0 75000 / रू0	मु0 3000 / –रू0	मु0 750 / –रू0	मु0 750 / –रू0	मु0 300 / –रू	मु0 375 / –रू	मु0 300 / –रू0 प्रति यूनिट	मु0 375 / –रू प्रति यूनिट	मु0 150 / –रू प्रति यूनिट	मु0 3000 / –रू (कालम 3 से 9 तक का योग)
1.	2.	3.	4	5	6.	7.	8.	9.	10.